

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.)बालोतरा
पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

क्रमांक -रीडर/ 2022/600

दिनांक :- 29/7/2022

मुकदमा नंबर 173/2022

प्राथी	बनाम	विप्राथीगण
1. लुम्भाराम पुत्र भूसाराम जाति जाट 2. अणसीदेवी पत्नी भूसाराम जाति जाट निवासियान भीमरलाई स्टेशन तहसील पचपदरा जिला बाडमेर।		1. चीमाराम पुत्र मगाराम 2. मोटाराम पुत्र मगाराम 3. पाबूराम पुत्र प्रहलादराम 4. दौलाराम पुत्र प्रहलादराम 5. रामाराम पुत्र प्रहलादराम 6. गंगादेवी पत्नी प्रहलादराम 7. जेहाराम पुत्र मगाराम 8. रायचन्द्रराम पुत्र मगाराम 9. रामाराम पुत्र कलाराम 10. डालूराम पुत्र कलाराम 11. माडूदेवी पत्नी कलाराम 12. रायचन्द्रराम पुत्र जेटाराम 13. कुंभाराम पुत्र जेटाराम 14. भलाराम पुत्र जेटाराम 15. दमाराम पुत्र हरखाराम 16. केसाराम पुत्र हरखाराम 17. जुगताराम पुत्र हरखाराम 18. अणदाराम पुत्र आदूराम 19. देवीसिंह पुत्र आईदानसिंह 20. खेतसिंह पुत्र आईदानसिंह 21. मलसिंह पुत्र आईदानसिंह 22. गंगाराम पुत्र मोटाराम जाट 23. पुरखाराम पुत्र मोटाराम जाति जाट सभी निवासियान भीमरलाई स्टेशन तह0 पचपदरा जिला बाडमेर। 24. राजस्थान सरकार जरीये भूमि धारक तहसीलदार पचपदरा जिला बाडमेर।

आदेश

दिनांक :- 29.7.2022

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा भीमरलाई स्टेशन पटवारी क्षेत्र खट्टू, भू-निरीक्षक क्षेत्र दूधवा तहसील पचपदरा में खेत खसरा नं0 836/381 रकबा 33 बीघा 13 विस्वा व खसरा संख्या 380 रकबा 0-07 बीघा विवादित भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार पचपदरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्राथीगण व अप्राथीगण को नोटिस/ पत्र के जरिये सूचित हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थगढ़ी नहीं करने से बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारानकी उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे कमिश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित किया जाता है, जो प्राथीगण द्वारा मौके पर अदा किया जायेगा। पुलिस इमदाद की यदि आवश्यकता हो तो सम्बन्धित पुलिस थाना से प्राप्त करें।



(नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा
उपखण्ड अधिकारी

दिनांक :- 29/7/22

क्रमांक /रीडर/ 2022/ 601

प्रतिलिपि :- तहसीलदार पचपदरा को भेजकर लेख है कि नेखमबन्दी आदेशानुसार करना सुनिश्चित करे, साथ ही पालना रिपोर्ट भिजवाते समय फर्द मौका, फिल्ड बुक, राजस्व आवेदन संख्या व अनवान आवश्यक रूप से दर्ज कर भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा (नरेश सोनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा